रजिस्ट्री सं डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 1989/वैशाख 22, 1911
No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 1989/VAISAKHA 22, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1989

बीमा

का.आ. 356 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (पर्यवेक्षी), लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा कारबार (पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद के वेतनमानों और सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1989 है ।

(2) यह 1 अगस्त, 1987 को लागू समझी जाएगी ।

2. साधारण बीमा कारबार (पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द के वेतनमानों और सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण स्कीम, 1974), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 3 में खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कख) "पुनरीक्षण निबंधनों" से पांचवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत है;

(ग) "पुनरीक्षित वेतनमानों" से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान अभिप्रेत हैं ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 4 में उपपैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा रखें जाएंगे, अर्थात् :—

"(6) 1 अगस्त, 1987 से प्रत्येक कर्मचारी का वेतन और भत्ते "पुनरीक्षित निबंधनों" के अनुसार होंगे । उस तारीख को सेवारत प्रत्येक कर्मचारी का और उस तारीख के पश्चात् किंतु पुनरीक्षण स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पूर्व नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति का मूल वेतन पैरा 6ख के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में नियत किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक कर्मचारी को जिसका मूल वेतन पैरा 6ख के उपबंधों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमानों में नियत किया जाता है । 1 अगस्त, 1987 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से जो भी बाद में है, प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए, मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों का, "पुनरीक्षित निबंधनों" और उसे लागू संशोधित निबंधनों के अंतर का भुगतान (कर्मचारी के भविष्य निधि में अनिवार्य अभिदाय की कटौती करने के बाद) किया जाएगा ।

परंतु यह कि :—

(i) उस कर्मचारी को, जो 1 अगस्त, 1987 के पश्चात् सेवानिवृत्ति हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया था, उसकी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की, जैसी भी स्थिति हो, तारीख तक की अवधि के लिए उपर्युक्त अंतर की धनराशि तथा संशोधन स्कीम, 1989 के उद्भूत उपदान, यदि कोई हो, के अंतर की धनराशि का भुगतान किया जाएगा, और

(ii) उस कर्मचारियों के मामले में जिसकी 1 अगस्त 1987 के पश्चात् सेवा में रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए पूर्वोक्त अंतर की धनराशि का भुगतान किया जाना था और संशोधन स्कीम, 1989 से उद्भूत उपदान के अन्तर की धन राशि, यदि कोई हो, का भुगतान उस नियुक्ति को किया जाएगा जिसे उसके उपदान का भुगतान किया जाना था ।

परंतु यह भी कि उस कर्मचारी के मामले में जो 1 अगस्त, 1987 को या उसके पश्चात् पर्यवेक्षकीय लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में प्रोन्नत किया गया हो अथवा विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तित किया गया हो तो अधिकारी के रूप में उसकी प्रोन्नति या विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तन की तारीख तक की पूर्वोक्त अंतर की धनराशि (उपदान के अंतर की धनराशि को छोड़कर) का भुगतान पुनरीक्षित निबंधनों में उसके मूल वेतन के सैद्धांतिक नियतन के आधार पर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—उप पैरा (7) के प्रयोजन के लिए "अन्य भत्ते" पद से मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, कार्यात्मक भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, स्नातक भत्ता तथा तकनीकी अर्हताओं के लिए ऐसा भत्ता अभिप्रेत है जो कर्मचारी को अनुज्ञेय है ।

4. उक्त स्कीम के पैरा 6क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6क पुनरीक्षित वेतनमानों में मूल वेतन का नियतन :

(1) सेवारत प्रत्येक कर्मचारी का जो मूल वेतन 1 अगस्त, 1987 को था वह उसी तारीख से सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान के तत्समान प्रक्रम पर नियत किया जाएगा ;

(2) 1 अगस्त, 1987 को या उसके पश्चात किंतु राजपत्र में संशोधन स्कीम, 1989 के प्रकाशन से पूर्व नियुक्ति किए गए प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन उसकी नियुक्ति की तारीख से सुसंगत, पुनरीक्षित वेतनमान के तत्समान प्रक्रम पर नियत किया जायेगा, "

परंतु यदि संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान मूल वेतन के नियतन से घर ले जाए जाने वाले शुद्ध वेतन को संरक्षण नहीं मिल पाता है अर्थात् मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का योग कर्मचारी के भविष्य निधि में अनिवार्य अभिदाय के कारण कम हो जाएंगे तो कर्मचारी का मूल वेतन एक या अधिक उच्चतर प्रक्रमों पर नियत किया जाएगा ताकि घर ले जाए जाने वाले शुद्ध वेतन के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके ।

(3)(क) उपपैरा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी इस बात का चुनाव कर सकता है कि उसका मूल वेतन संशोधन स्कीम, 1989 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पुनरीक्षित वेतनमानों में नियत किया जाए । उस दशा में वह निगम या कंपनी को इस तथ्य की सूचना संशोधन स्कीम के ऐसे प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर या कंपनी के प्रबंध-निदेशक अथवा अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, द्वारा अनुज्ञात किसी बढ़ाई गई अवधि तक, लिखित रूप में देगा ।

परंतु पुनरीक्षण स्कीम, 1989 के ऐसे प्रकाशन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए कोई भी बकाया ऐसे कर्मचारी को संदेय नहीं होगी जो पुनरीक्षण स्कीम, 1989 के प्रकाशन की तारीख से मूल वेतन के नियतन के लिए विकल्प देती है ।

5. उक्त स्कीम के पैरा 7 में,

(1) उपपैरा (1) में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (2) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् . –

"(2) उस कर्मचारी (अधीक्षक से भिन्न) की बाबत जिसका मूल वेतन पैरा 6क के अधीन 1 अगस्त 1987 को अथवा संशोधन स्कीम, 1989 के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाता है और उस कर्मचारी (अधीक्षण से भिन्न) की बाबत जो अपने सेवाकाल में उसके पश्चात किसी भी समय पुनरीक्षित वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचता है, यथास्थिति, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी कर्मचारी के कार्य का रिकार्ड संतोषप्रद पाए जाने पर, सहायक, अभिलेख लिपिक, चालक या अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान में ऐसे कर्मचारी को संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान में उसके अधिकतम पर पहुंचने की तारीख के पश्चात उसके द्वारा की गई प्रत्येक दो वर्ष की निरंतर सेवा के लिए उस वेतनमान में प्राप्त की गई अंतिम वेतन वृद्धि की दर पर, एक वेतन वृद्धि देने पर विचार कर सकेगा और ऐसी तीन से अधिक वेतनवृद्धियां नहीं दी जाएंगी ।"

परंतु यह कि ज्येष्ठ सहायकों या आशुलिपिकों के वेतनमानों में ऐसे कर्मचारी की संबंधित पुनरीक्षित वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने की तारीख के बाद कर्मचारी द्वारा की गई प्रत्येक तीन वर्ष की निरंतर सेवा के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसी एक वेतन वृद्धि दी जा सकेगी और इस उपपैरा के अधीन ऐसी दो वेतन वृद्धियों से अधिक मंजूर नहीं की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण इस उप पैरा के प्रयोजनार्थ "निरंतर सेवा" से, असाधारण छुट्टी की अवधियों को छोड़कर ड्यूटी अवधि अभिप्रेत है ।

6 उक्त स्कीम में, –

(i) पैरा 16 और 17 ; और

(ii) दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का राजपत्र में पुनरीक्षण स्कीम, 1989 के प्रकाशन की तारीख से लोप किया जाएगा ।

7. उक्त स्कीम में चौथी अनुसूची के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् : –

पांचवीं अनुसूची

[पैरा (3कख) और (6ग) देखें]

I. पुनरीक्षित वेतनमान (मूल वेतन)

क. पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारीवृंद –

(1) अधीक्षक : (रन आफ कार्डर)*

1910-110-2020-120-3700 रु.

(2) ज्येष्ठ सहायक :

1390-80-1710-100-1910-110-2020-120-3460 रु.

(3) आशुलिपिक :

1390-80-1710-100-1910-110-2020-120-3460 रु .

(4) सहायक टाईपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर स्वागतकर्ता, पंच-कार्ड आपरेटर, यूनिट रिकार्ड मशीन आपरेटर, काप्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद :

1000-50-1050-60-1170-70-1450-80-1930-100-2130 120-2850 रु.

(5) अभिलेख लिपिक : 930-35-1000 40-1200-50-1500-60-1860-70-2000 रु.

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृंद :

(1) ड्राइवर : 930-35-1000-40-1520-45-1610-50-1810 रु.

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृंद : 815-25-840-35-1260-40-1460-50-1510 रु.

*निगम या कंपनी अधीक्षक के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेगी ।

II. कार्यात्मक भत्ता

अपने नियमित और मुख्य कार्य के रूप में निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य में लगे कर्मचारियों को नीचे उपदर्शित के अनुसार कार्यात्मक भत्ते का संदाय किया जाएगा :

(1) विशेष कार्यात्मक भत्ता :

(क) लिफ्टमैन, मशीन आपरेटर, प्रधान चपरासी, जमादार, दफतरी, वातानुकूलन संयंत्र आपरेटर, भारी वाहन चालक, की होल्डर या जेनेरेटर आपरेटर के रूप में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारिवृंद और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद जो बैंक से रोकड़ ले जाने या वहां लाने का कार्य करता हो और जहां किसी कलैंडर मास के दौरान लाए तथा ले जाए रोकड़ की रकम सामान्यतः . 25,000 रु. या उससे अधिक है ।

(ख) किसी ऐसे कार्यालय में रोकड़ संभालने वाला रोकडिया किसी कलेंडर मास के दौरान नकद संव्यवहार की कुल रकम सामान्यतः 25,000/– रु. या उससे अधिक है । 115 रु० प्रतिमाह

टिप्पण : (1) संपूर्ण विशेष कार्यात्मक भत्ते की, जो उपखंड (क) के अधीन अधीनस्थ कर्मचारिवृंद को संदेय हो, मूल वेतन के रूप में गणना की जाएगी ।

(2) उपखंड (ख) के अधीन विशेष कार्यात्मक भत्ते को मूल वेतन का भाग नहीं समझा जाएगा । परंतु उक्त विशेष कार्यात्मक भत्ते का 60 प्रतिशत की मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि , उपदान और प्रोन्नति पर वेतन पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

(2) अन्य कार्यात्मक भत्ता :

(क) टैलेक्स आपरेटर, पंच-कार्ड आपरेटर, यूनिट रिकार्ड आपरेटर और काम्पटिस्ट 50 रु. प्रतिमास

(ख) निगम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, महाप्रबंध निदेशक, सहायक महाप्रबंध निदेशक और समतुल्य पदों पर तैनात अधिकारियों के आशुलिपिक 60 रु. प्रतिमास

(ग) लेखा परीक्षक सहायक 200 रु० प्रतिमास

टिप्पण 1 : कार्यात्मक भत्ता पाने के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम, कार्य-भार तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक या प्रबंध निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

टिप्पण 2 : कोई भी कर्मचारी किसी एक समय पर केवल एक कार्यात्मक भत्ता लेगा ।

टिप्पण 3 : छुट्टी पर जाने वाले किसी कर्मचारी को, असाधारण छुट्टी की अवधियों से भिन्न, उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कार्यात्मक भत्ता दिया जाएगा, परंतु यह तब जब कि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी पद पर कार्य आरंभ करता है ।

टिप्पण 4 : कोई भी कर्मचारी , उस पद से संलग्न कार्यात्मक भत्ता पाने के लिए, अधिकार के रूप में, किसी विशिष्ट भाग का कार्य उसे आबंटित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

टिप्पण 5 : कोई भी कर्मचारी , कार्यात्मक भत्ता वाले किसी पद पर कार्य करने को इनकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं लगाएगा कि अधिकारी की अनुपस्थिति या अस्थायी रूप से कार्य बढ़ जाने के कारण, कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य उसे सौंपा गया है इसलिए उसे ऐसा भत्ता दिया जाए ।

III. मंहगाई भत्ता

(1) कर्मचारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :-

सूचक : औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

आधार वर्ष : 1960 = 100

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण :- मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वाइंट की वृद्धि या गिरावट के लिए तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

मंहगाई भत्ते की दर : 600 प्वाइंटों से ऊपर, तिमाही औसत के प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ता निम्न लिखित दरों से परिकलित किया जाएगा :-

	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की दर
(क) अधीनस्थ कर्मचारिवृंद	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत
(ख) अधीनस्थ कर्मचारिवृंद से भिन्न सभी कर्मचारी :-	
मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की दर
(i) 1650 रु. तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत
(ii) 1651 रु. से 2850	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 1650 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत
(iii) 2851 रु. और अधिक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत घन 2850 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक के तिमाही औसत(जिसे इसमें इसके पश्चात "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संदेय मंहगाई भत्ते का उर्ध्वगमामी निरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता दिया गया है तो संदेय मंहगाई भत्ते का अधोगामी निरीक्षण होगा । अधोगामी पुनरीक्षण होने पर, संदेय मंहगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंको के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है, और यदि ऐसा चालू औसत अंक, अनुक्रम में ऐसा कोई अंक नहीं हैं । तो संदेय मंहगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है ।

(3) इस प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रत होगी ।

(4) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले हो, में प्रकाशित अंतिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे मंहगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा ।

(5) किसी विशिष्टि तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के तत्समान मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के बाद केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा ।

IV. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता : किसी पुष्टि किए गए कर्मचारी को, जो नीचे उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या पुनरीक्षण स्कीम 1989 के प्रारंभ की तारीख, से, जो भी बाद में हो, नीचे उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिया जाएगा :–

परंतु यह कि उसे एक से अधिक अर्हता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

परीक्षा	अर्हता भत्ता प्रतिमास
भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान	
(i) लाइसेंसिएट	40 रु.
(ii) एसोसिएटशिप पूरी करने पर	120 रु.
(iii) फैलोशिप पूरी करने पर बीमाकक संस्थान :	200 रु.
(iv) प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने पर चार्टर्ड एकाउंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान	40 रु.
(v) इण्टरमीडिएट पूरा करने पर	80 रु.
(vi) अंतिम समूह क या समूह ख पूरा होने पर	150 रु.
(vii) अंतिम समूह क और समूह ख पूरा होने पर	200 रु.

तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित कर्मचारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

जहां किसी कर्मचारी को उक्त परीक्षाओं में से किसी परीक्षा में अर्हित करने के लिए पहले ही कोई अग्रिम वेतन वृद्धि या कोई अन्य आवर्ती आर्थिक फायदा दिया गया है, वहां पहले से प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करते हुए, अर्हता भत्ते की रकम में यथोचित रूप से कमी कर दी जाएगी या अनुज्ञेय नहीं होगा ।

V स्नातक भत्ता :

(1) सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक भत्ता : (क) किसी भी ऐसे कर्मचारी को जिसे सहायक के वेतनमान वाले किसी पद पर नियुक्त या प्रोन्नत किया जाता है और वह 1 जनवरी 1973 को या उसके पश्चात किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हित हो जाता है तो उसे परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने की तारीख से या पुनरीक्षण स्कीम, 1989 के प्रारंभ की तारीख से या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, 130 रु. प्रतिमास स्नातक भत्ता दिया जाएगा परंतु तब जब उसने पूर्वतः स्नातक वेतन वृद्धि या अर्हता वेतन या स्नातक के रूप में अर्हित हो जाने के लिए कोई अन्य आवर्ती धनीय फायदा प्राप्त न किया हो ।

परंतु ऐसा कर्मचारी तब तक स्नातक भत्ता प्राप्त करता रहेगा जब तक वह सहायक के वेतनमान में कार्यरत है ।

(ख) सहायक के वेतनमान ऐसे किसी को, जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हित है और उसने वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात 3 वेतन वृद्धियां प्राप्त कर ली है और उसे उपखंड (क) के अधीन स्नातक भत्ता नहीं मिल रहा है, तीसरी वेतन वृद्धि प्राप्त करने या वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के पश्चात एक वर्ष के बाद की तारीख से या 1 अप्रैल 1989 से, जो भी बाद में हो, 65 रु. प्रतिमास स्नातक भत्ता दिया जाएगा ।

परंतु एक वर्ष की और सेवा के पश्चात उक्त स्नातक भत्ता 65 रु. से बढ़ाकर 130 रु. कर दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

(i) इस मद के प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

(ii) सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ते को मूल वेतन का भाग नहीं समझा जायेगा ।

परंतु उक्त भत्ते के 60 प्रतिशत मकान किराया भत्ता, भविष्य निधि, उपदान और उच्च ग्रेडर में प्रोन्नत पर समायोजना के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

(2) अभिलेख लिपिकों को स्नातक भत्ता : अभिलेख लिपिक के वेतनमान में किसी भी कर्मचारी को, जिसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या 1 अप्रैल, 1989 से या अभिलेख लिपिक के रूप में प्रोन्नति की तारीख से जो भी बाद में हो, 80 रु. प्रतिमास स्नातक भत्ता दिया जाएगा ।

टिप्पण : अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता विशेष भत्ता नहीं होगा और न ही उसे किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन समझा जाएगा और न ही उसकी इस प्रकार गणना की जाएगी और उसे कर्मचारी की प्रोन्नति पर वापस ले लिया जाएगा ।

VI. मकान किराया भत्ता

(1) कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से, किंतु अधिक से अधिक 300 रु. प्रतिमास संदेय होगा ।

(2) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर आबंटित किया गया है किसी मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे, किंतु व ऐसी आवास सुविधा के लिए निगम/कंपनी को ऐसी उपर्युक्त अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे जो निगम का बोर्ड समय-समय पर विनिश्चय करे ।

परंतु यह कि कोई ऐसा कर्मचारी 1 अप्रैल, 1983 से पहले आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर आबंटित किया गया है, या जहां कोई कर्मचारी उक्त स्कीम की चौथी अनुसूची की मद VI के निबंधनों के अनुसार इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व मकान किराया भत्ता लेता रहा है तब तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करता रहेगा जब तक वह निगम/कंपनी द्वारा आबंटित आवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टरों का अधिभोग करता है ।

VII नगर प्रतिकरात्मक भत्ता : (1) पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :-

तैनाती का स्थान	दर
(क) 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा पणजी तथा मार मूगांव	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किंतु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं
(ख) 5 लाख और उससे अधिक किंतु 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले नगर, राज्यों की राजधानियां जिनकी जन संख्या 12 लाख से अधिक न हो, चंडीगढ़, मोहाली, पांडीचेरी और पार्टब्लेयर	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किंतु 100 रु. प्रति मास से अधिक नही और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के लिए न्यूनतम 30 रु. प्रतिमास और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद से भिन्न कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 45 रु. प्रति मास ।

टिप्पण : (1) 19 मई, 1988 से खंड (क) में "पणजी और मारमूगांव की नगर बस्तियां शब्दों के स्थान पर गोवा राज्य का कोई भी नगर" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) पुनरीक्षण स्कीम, 1989 की अधिसूचना की तारीख से खंड (क) में "नोएडा" शब्द के पश्चात "गुडगांव, वाशी, गांधी नगर" शब्द रखे जाएंगे ।

(3) पुनरीक्षण स्कीम, 1989 की अधिसूचना की तारीख से खंड (ख) में "मोहाली" शब्द के पश्चात "पंचकुला" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(4) इस पैरा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जन गणना रिपोर्ट में है ।

(5) उपपैरा (1) में किसी बात के होते हुए भी पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ काडर का कोई कर्मचारी जिसे उक्त स्कीम की चौथी अनुसूची की मद VII के खंड (2) के अनुबंधनों के अनुसार नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में 20 रु. प्रतिमास की रकम पुनरीक्षण वेतनमान में नियोजन की तारीख से ठीक पूर्व मिलती रही है और वह पुनरीक्षण स्कीम, 1989 के अधीन नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के लिए पात्र नहीं हुआ है वह उक्त रकम तब तक प्राप्त करता रहेगा जब तक वह उसी स्थान पर तैनात है और उस रकम को भावी पुनरीक्षण में आमेलित किया जाएगा ।

VIII. पर्वतीय स्थान का भत्ता :-

(1) पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ काडर के किसी कर्मचारी को सन्देय पर्वतीय स्थान के मापमान निम्नलिखित रूप में होंगे :

(i) जो औसत समुद्र तल से 1500 मीटर तथा उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात है	मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर पर, किंतु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(ii) जो औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर, सरकार पर तथा ऐसे स्थानों पर, जिन्हें केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पर्वतीय स्थान घोषित किया किया है, तैनात है ।	मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर पर, किंतु 125 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।

IX. किट भत्ता : पांचवी अनुसूची की मद (viii) में सूचीबद्ध किसी पर्वतीय स्थान को स्थानान्तरित कर्मचारियों को 500 रु. का किट भत्ता दिया जाएगा । किट भत्ता एक पर्वतीय स्थान से दूसरे पर्वतीय स्थान को स्थानांतरित होने पर या पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसे किसी भी समय ले लिए जाने पर, संदेय नहीं होगा ।

[सं. फा. सं. 2 (6) बीमा III/89]

एन. आर. रंगानाथन, अपर सचिव (बीमा)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार 1 अगस्त 1987 से भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी समनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बाबत वेतनमानों और सेवा की शर्तों का पुनरीक्षित करने को मंजूरी देती है । तदनुसार स्कीम का 1 अगस्त 1987 से संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी समनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 326 (अ) तारीख 27-5-1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में उसका संशोधन अधिसूचना सं.का. आ. 472 (अ) तारीख 5-9-1975, 5415 तारीख 22-12-1975, 390 (अ) तारीख 1 जून 1976, 4466 तारीख 11 नवम्बर 1976, 2443 तारीख 30 जुलाई, 1977, 1046 तारीख 29 मार्च, 1978, 1049 तारीख 29 मार्च 1978, 1410 तारीख 26 अप्रैल 1978, 3429 तारीख 16 नवम्बर, 1978, 314(अ) तारीख 12 मई, 1980, 827(अ) तारीख 30 सितंबर 1980, 720(अ) तारीख 21 सितंबर 1984, 769 (अ) तारीख 15 अक्तूबर 1985, 884 (अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1985, 729 (अ) तारीख 3 अक्तूबर 1986, 441 (अ) तारीख 27 अप्रैल 1987, 1038 (अ) तारीख 7 दिसंबर, 1987, 780 (अ) तथा 783 (अ) तारीख 22 अगस्त, 1988, 1160(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 1988, और 180 (अ) तारीख 10 मार्च, 1989.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi the 12th May, 1989

INSURANCE

S.O. 356(E) :—In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff)) Scheme, 1974, namely:--

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Second Amendment Scheme, 1989 (hereinafter referred to as "Revision Scheme, 1989).

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1987.

2. In the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in paragraph 3, after clause (aa), the following clauses shall be inserted, namely:--

(ab) 'Amended Terms' means the amended scales of pay and allowances as specified in the Fifth Schedule.

(ac) 'Amended scales of pay' means the amended scales of pay specified in the Fifth Schedule.

3. In paragraph 4 of the said Scheme, after Sub-paragraph (5), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely: —

"(6) With effect from the 1st day of August, 1987 the pay and allowance of every employee shall be in accordance with the 'Amended Terms'. The basic salary of every employee in service as on that date and of every employee appointed after that date but before the date of publication of the Revision Scheme, 1989 in the Official Gazette shall be fixed in the amended scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6B.

(7) Every employee whose basic salary is fixed in the Amended scales of pay in accordance with the provisions of Paragraph 6B of this Scheme shall be paid, for the period commencing on and from the 1st day of August, 1987 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of basic salary, Personal Pay, if any, Dearness Allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund), between the "amended terms" and the "revised terms" applicable to him.

Provided that –

(i) an employee, who had retired or resigned from service after the 1st day of August, 1987 shall be paid the difference in amount as aforesaid for the period upto the date of his retirement or the resignation, as the case may be, alongwith the difference in amount of gratuity, if any, arising out of the Revision Scheme, 1989; and

(ii) in the case of an employee who had died whilst in service after the 1st day of August, 1987, the difference in amount as aforesaid for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was to be paid and the difference in amount of gratuity, if any, arising out of the Revision Scheme, 1989 shall be paid to the person to whom his gratuity was to be paid:

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre to the cadre of Officer or converted as Development Officer on or after the 1st day of August, 1987 the difference in the amount referred to above (excluding the difference in gratuity amount) upto the date of his promotion as Officer or conversion as Development Officer, shall be paid on the basis of notional fixation of his basic salary in the amended terms.

EXPLANATION :

For the purpose of sub-paragraph (7) the expression 'Other Allowances' means House RentAllowance, City Compensatory Allowance, Functional Allowance, Hill Station Allowance, Graduation Allowance and Allowance for technical qualifications as admissible to an employee.".

4. After paragraph 6A of the said Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"6B—Fixation of basic salary in the amended scales of Pay :—

(1) The basic salary of every employee in service as on the 1st day of August, 1987, shall be fixed at the corresponding stage in the respective amended scale of pay with effect from that date.

(2) The basic salary of every employee appointed after the 1st day of August, 1987 but before the publication of the Revision Scheme, 1989 in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective amended scale of pay with effect from the date of his appointment :

Provided that if the fixation of basic salary in the respective amended scale of pay does not result in protection of net take-home pay, i.e. aggregate of basic salary and dearness allowance of reduced by employee's compulsory contribution towards Provident Fund, the basic salary of the employee will be fixed at one or more higher stages so as to ensure protection of net take-home pay.

(3) (a) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (1) and (2), the employee may choose that his basic salary may be fixed in the amended scales of pay with effect from the date of publication of the Revision Scheme, 1989, in the Official Gazette, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within 30 days of such publication of the Revision Scheme, 1989 or such further period as may be allowed by the managing Director or Chairman-cum-Managing Director of the Company :

Provided that no arrears for the period prior to the date of such publication of the Revision Scheme, 1989 shall be payable to such employee who opts for fixation of his basic salary with effect from the date of publication of Revision Scheme, 1989.".

5. In paragraph 7 of the said Scheme,

(1) In sub-paragraph (1), the Explanation shall be omitted.

(2) For Sub-paragraph (2) and proviso thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(2) In respect of an employee (other than a Superintendent) whose basic salary is fixed at maximum of the amended scale of pay on the first day of August, 1987 or on the date of publication of the Revision Scheme, 1989 under paragraph 6B and in respect of an employee (other than a Superintendent) who will be reaching the maximum of the amended scale of pay at any time thereafter during the period of his service, the Managing Director or the Chairman-cum-Managing Director of the Company, as the case may be or any Officer authorised by him in this behalf, may, subject to the record of work of the employee being found satisfactory, consider granting of one increment to such employee in the scale of Assistant, Record Clerk, Driver or other Subordinate Staff, as the case may be, for every two years of Continuous Service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the respective amended scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale and not more than three such increments shall be granted :

Provided that for an employee in the scale of Senior Assistant or Stenographer, one such increment in the amended scale of pay may be granted for every three years of continuous service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the amended scale of pay and not more than two such increments shall be granted under this sub-paragraph.

EXPLANATION :

For the purpose of this paragraph "Continuous Service" means a period of duty excluding period(s) of extraordinary leave.".

6. In the said Scheme,—

(i) paragraphs 16 and 17, and

(ii) the Second Schedule and the Third Schedule, shall be omitted from the date of publication of Revision Scheme, 1989 in the Official Gazette.

7. In the said Scheme, after Fourth Schedule, the following shall be inserted, namely:—

"THE FIFTH SCHEDULE

[See Paragraph 3 (ab) and (ac)]

I. AMENDED SCALES OF PAY (BASIC SALARY)

A. Supervisory and Clerical Staff :

(1) Superintendent : (Run off cadre)*
Rs. 1910-110-2020-120-3700.

(2) Senior Assistant :
Rs. 1390-80-1710-100-1910-110-2020-120-3460.

(3) Stenographer :
Rs. 1390-80-1710-100-1910-110-2020-120 - 3460.

(4) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receiptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent positions :
Rs. 1000-50-1050-60-1170-70-1450-80-1930-100-2130-120-2850.

(5) Record Clerk :
Rs. 930-35-1000-40-1200-50-1500-60-1860-70-2000.

B. Subordinate Staff: —

(1) Driver :
Rs. 930-35-1000-40-1520-45-1610-50-1810.

(2) Other Subordinate Staff:
Rs. 815-25-840-35-1260-40-1460-50-1510.

*No fresh appointment to the post of Superintendent shall be made by the Corporation or Company.

II. FUNCTIONAL ALLOWANCES:

Employees engaged in any of the following function as their regular and main function shall be paid a Functional allowances as indicated below:—

(1) Special Functional Allowance :

(a) Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operator, Head Peons, Jamadars, Daftaries, A.C. Plant Operators, Heavy Vehicle Drivers, Key Holders or Generator Operators and Subordinate Staff carrying cash to or from Bank where the amount of carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000 or more.	Rs. 50/- p.m.
(b) Cashier handling cash in an office where the total amount of cash transcations during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more.	Rs. 115/-p.m.

NOTE : (1) Entire Special Functional Allowance payable to Subordinate Staff under sub-clause (a) above will count as basic salary.

(2) Special Functional Allowance under sub-clause (b) shall not be treated as part of basic salary. Provided that 60% of the said Special Functional Allowance shall count for the purpose of House Rent Allowance, Provident Fund, Gratuity and re-fixation on promotion.

(2) Other Functional Allowance:

(a) Telex Operator, Punch Card Operators, Uunit Record Machine Operators and Comptists.	Rs. 50/-p.m.
(b) Stenographer to Chairman of the Corporation, Managing Directors, Chairman-cum Managing Directors, General Managers, Assistant General Managers and equivalent positions.	Rs. 60/- p.m.
(c) Audit Assistants	Rs. 200/- p.m.

NOTE 1 : The number and names of persons eligible to draw the functional allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director or by any officer authorised in this behalf, depending upon the load of work and administrative requirements.

NOTE 2 : An employee shall draw only one functional allowance at any one time.

NOTE : 3 : An employee proceeding on leave shall be paid the functional allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave, provided that he resumes work in the same position on the expriy of his leave.

NOTE 4 : No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the functional allowance attaching to that position.

NOTE 5 : No employee shall refuse to work in a position carrying a functional allowance or make it a condition that he be paid such allowance where because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

III. DEARNESS ALLOWANCE

(1) The scale of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under : –

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base Year : 1960=100.

Revision of Dearness Allowance : Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

Rate of Dearness Allowance:—For every 4 points in the quarterly average over 600 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates: —

	Rate of D.A. for every 4 points
(a) Subordinate Staff	0.67% of Basic salary.
(b) All employees other than Subordinate Staff:—	
Basic Salary	Rate of D.A. for every 4 points
(i) Upto 1650/-	0.67% of basic salary
(ii) Rs. 1651 to 2850/-	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of basic salary in excess of Rs. 1650/-
(iii) Rs. 2851/- and above.	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of difference between Rs. 2850/- and Rs. 1650/- plus 0.33% of basic salary in excess of Rs. 2850/-.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 600 points in the sequence 600-604-608-612 and so on, and there shall be downward revision of dearness allowance payable if the current average figure falls below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence, and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the sequence.

(3) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(4) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(5) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS

A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, or the date of commencement of Revision Scheme, 1989 whichever is later, the allowance for Technical qualifications mentioned below: —

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible to him.

Examination	Qualification Allowance per month
	Rs.
Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute:	
(i) Licentiate	40
(ii) Completion of Associateship	120
(iii) Completion of Fellowship Institute of Actuaries :	200
(iv) On passing each subject Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants:	40
(v) Completion of Intermediate Examination	80
(vi) Completion of Final Group A or Group B	150
(vii) Completion of Final Group A and Group B	200

The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned

Where the employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

V. GRADUATION ALLOWANCE

(1) Graduation Allowance to employees in the scale of Assistant:

(a) An employee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and qualifies as

Graduate of a recognised University on or after 1st day of January 1973 shall be paid Graduation Allowance of Rs. 130/- p.m. with effect from the date of publication of the results of the examination or the date of commencement of Revision Scheme, 1989 or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later, provided he has not already received Graduation Increment or Qualification Pay or any other recurring monetary benefit for having qualified as Graduate.

Provided that such employee shall continue to receive Graduation Allowance only till such time as he continues to be in the scale of Assistant.

(b) An employee in the scale of Assistant who has qualified as Graduate of a recognised University and has received three increments after reaching the maximum of the scale and is not in receipt of graduation allowance under sub-clause (a) above shall be paid graduation allowance of Rs. 65 p.m. with effect from a date one year after he has received the third increment or the maximum of the scale or from 1st day of April, 1989, whichever is later.

Provided that the said Graduation Allowance of Rs. 65 shall be increased to Rs. 130/- after a further service of one year.

EXPLANATION:

(i) For the purpose of this item Recognised University shall mean University recognised by the University Grants Commission.

(ii) Graduation Allowance payable to employees in the Scale of Assistant shall not be treated as part of basic salary. Provided that 60% of the said allowance shall count for the purpose of House Rent Allowance Provident Fund, Gratuity and Fitment on promotion to the higher cadre.

(2) GRADUATION ALLOWANCE TO RECORD CLERKS:

An employee in the scale of Record Clerk, who has qualified as Graduate of a recognised University shall be paid Graduation Allowance of Rs. 80 p.m. with effect from the datd of publication of results of the examination or the first day ot April, 1989 or the date of promotion as Record Clerk, whichever is later.

Note: The Graduation Allowance payable to employees in the scale ot Record Clerk shall not be a Special Allowance nor shall it be treated or counted as basic salary for any purpose and it shall be withdrawn on promotion of the employee.

VI. HOUSE RENT ALLOWANCE

(1) The House Rent Allowance to the employee shall be payable at the rate of 10 per cent of basic salary subject to maximum of Rs. 300/- per month.

(2) Employees who are allotted residential accommodation/staff quarters, shall not be entitled to any house rent allowance, but they shall pay to the Corporation/Company, for such accommodation, the appropriate licence fee as may be decided by the Board of the Corporation from time to time.

Provided that an employee who has been allotted residential accommodation/staff quarters before the 1st day of April, 1983, and who has been in receipt of House Rent Allowance as on date immediately preceding the date of publication of this Scheme in terms of item VI of Fourth Schedule of the said Scheme shall continue to receive such House Rent Allowance so long as he continues to occupy the residential accommodation/staff quarters allotted by the Corporation/Company.

VII. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(1) The scale of City Compensatory Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:

Place of posting	Rate
(a) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Gaziabad, NOIDA, Panaji and Marmugao.	7% of Basic Salary subject to maximum of Rs. 150/- p.m.
(b) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lcs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry & Port Blair.	4% of Basic Salary subject to maximum of Rs. 100/- p.m. and minimum of Rs. 30/- p.m. for Subordinate staff and Rs. 45/- p.m. for employees other than Subordinate staff.

Note: (1) On and from 19th day of May, 1988, in clause (a), for the words "Urban Agglomeration of Panaji and Marmugao" the words "any city in the State of Goa" shall be substituted.

(2) On and from the date of Notification of Revision Scheme, 1989, in clause (a), after the word "NOIDA", the words "Gurgaon, Vashi, Gandhi nagar" shall be inserted.

(3) On and from the date of Notification of Revision Scheme, 1989, in clause (b), after the word "Mohali", the word "Panchkula" shall be inserted.

(4) For the purpose of this paragraph, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

(5. Notwithstanding anything contained in Sub-clause (1), any employee in Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre, in receipt of an amount of Rs. 20 per month as City Compensatory Allowance in terms of clause (2) of item VII of the Fourth Schedule to the said Scheme immediately before the date of fication in the amended scale of pay and not becoming eligible for City Compensatory Allowance under the Revision Scheme, 1989 shall continue to receive said amount so long as he is posted at the same place and shall be absorbed in future revision.

VIII. HILL STATION ALLOWANCE

(1) The scales of Hill Station Allowance payable to employees in Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre shall be as follows:—

(i) Posted at places situated at a height of 1500 metres and over, above mean sea level.	At the rate of 7% of the basic salary, subject to maximum of Rs. 150/- per month.
(ii) Posted at places situated at a height of 1000 metres and over, but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places, which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/ State Governments for their employees.	At the rate of 5% of basic salary, subject to maximum of Rs. 125/- per month.

IX. KIT ALLOWANCE

Employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII of the Fifth Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs. 500/- The Kit Allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another or if the same was drawn at any time during the preceding three years.

[F.No. 2(6)Ins-III/89]

N.R. RANGANATHAN, Addl. Secy.
(Insurance)

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of Service in respect of the employees of the General Insurance Corporation of India and Subsidiary Companies with effect from 1st August, 1987. The Scheme of the employees is being amended accordingly with effect from 1st August, 1987.

2. It is certified that no employee of the General Insurance Corporation of India or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Note:—The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 326(E) dated 27-5-1974.

Subsequently amended by Notification No. S.O. 472(E) dated 5th September, 1975, 5415 dated 22nd December, 1975, 390 (E) dated Ist June, 1976, 4466 dated 11th November 1976, 2443 dated 30th July, 1977, 1046 dated 29th March, 1978, 1049 dated 29th March, 1978, 1410 dated 26th April, 1978, 3429 dated 16th November 1978, 314(E) dated 12th May, 1980, 827 (E) dated 30th September, 1980, 729(E) dated 21st September 1984, 769(E) dated 15th October, 1985, 884(E) dated 9th December, 1985, 729(E) dated 3rd October, 1986, 441(E) dated 27th April 1987, 1038(E) dated 7th December, 1987, 780(E) dated 22nd August, 1988, 783(E) dated 22nd August, 1988, 1160 (E) dated 9th December, 1988 and 180(E) dated 10th March, 1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989